ंस्वच्छ जल जलकृषि में समूह–कृषि दृष्टिकोण

आर.सुरेश* और वी.सेंथिल कुमार**

*प्राचार्य एवं प्रमुख, **सहायक प्राचार्य

मत्स्य पालन प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र

तमिलनाडु मत्स्यपालन विश्वविद्यालय

तंजावूर–614904

जल–कृषि व्यवसाय के लिए संगठनात्मक संरचना

आकार पर ध्यान न देते हुए, सभी प्रकार के कृषि–भूमि व्यवसाय का रूप हैं तथा उन्हें अनेक तरीकों से संगठित अथवा संरचित किया जा सकता है। मत्स्य–पालन के व्यवसाय में शामिल व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन्हें उपलब्ध विभिन्न संगठनात्मक संरचनाओं के विषय में जागरूक बनाएं, जिनमें एकल स्वामित्व, भागीदारियां और निगम शामिल हैं।

मत्स्य–पालन व्यवसाय की विशिष्ट परिस्थितियां यह वर्णित करती हैं कि इनमें से कौन सी संरचना सर्वाधिक उपयुक्त है। उदाहरण के लिए, अनेक कर्मचारियों तथा व्यापक निवेश आवश्यकताओं वाले बड़े कृषि–भूमि अधिक औपचारिक संरचना पर विचार करना लाभप्रद समझते हैं, जैसे निगम। तथापि, अधिकांश कृषि–भूमि इस श्रेणीा में नहीं आते हैं। वास्तव में, 70 प्रतिशत कृषि–भूमि आय संबंधी पैमाने के निम्नतम छोर पर स्थित हैं। फिर भी, ये छोटे कृषि–भूमि अथवा प्रचालन किसी विशिष्ट संगठनात्मक संरचनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं।

कृषि–भूमि व्यवसाय संगठनों के प्रकार

(क) एकल स्वामित्व

(ख) भागीदारियां

(ग) निगम

एकल स्वामित्व

एकल स्वामित्व सदैव ही कृषि–भूमि व्यवसाय संगठन का सर्वाधिक आम रूप बना हुआ है तथा इसके आगे भी ऐसे ही बने रहने की संभावना है क्योंकि इसे समझना और प्रयोग में लाना अत्यन्त सरल है। अधिकांश कृषि–भूमि एकल स्वामित्व वाले संगठित कृषि–भूमि हैं। वस्तुतः कोई व्यक्ति स्वयं को व्यवसायी घोषित कर सकता है। इस संरचना के अंतर्गत, वह कृषक एकल स्वामी है तथा उसके पास संपत्ति का विधिक हक है और वह स्व–नियोजित है। प्रबंध संबंधी निर्णय कृषक के पूर्णतः नियंत्रण में होते हैं। प्रचालन के लिए संसाधन एकल स्वामी के लिए उपलब्ध संसाधनों तक सीमित होते हैं। वह व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है, उसे वित्त–पोषित करता है तथा उसका संचालन करता है, अपनी आय और व्यय को दर्ज करता है तथा किसी भी समस्या की स्थिति में उसका उत्तरदायित्व लेता है।

भागीदारी

भागीदारियां भी एकल स्वामित्व के समान ही संगठनात्मक संरचनाएं है , सिवाए इस बात के कि इसमें दो या अधिक व्यक्ति सह–स्वामियों के रूप में होते हैं। भागीदार व्यवसाय में योगदान देते हैं, इसके प्रबंधन में साझेदारी करते हैं तथा लाभ का विभाजन करते हैं। भागीदारियां सामान्यतः भागीदारों के मध्य लिखित संविदा द्वारा सृजित की जाती हैं, परंतु उन्हें लिखित करार के बिना भी विधिक रूप से प्रचालित किया जा सकता है।

निगम

निगम कृषि–भूमि व्यवसाय संगठन का अत्यधिक तेजी से बढ़ता हुआ स्वरूप है। निगम एक विधिक संस्था है। निगम के अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों के समान होते हैं। निगम सामान्य स्टॉक के रूप में स्वामित्व शेयर जारी करते हैं। इन स्टॉकों के स्वामी निदेशक–मंडल को चुनने के लिए मतदान देते हैं, जो शेयर धारकों की ओर से निगम का प्रबंधन करते हैं। किसी निगम का प्रबंधन और नियंत्रण निम्नलिखित तीन समूहों के मध्य बांटा जाता जाता हैः स्टॉक धारक, निदेशक–मंडल और अधिकारी। बुनियादी निर्णय स्टाक धारकों द्वारा लिए जाते हैं, जबकि निदेशक–मंडल निगम के लिए नीतियां निधारित करता है। दैनिक निर्णय अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय प्रबंधक की भांति ही कृषि–भूमि को प्रबंधित और प्रचालित कर सकता है परंतु वह ऐसा निगम के कर्मचारी के रूप में ही करता है।

समूह कृषि

समूह कृषि का तात्पर्य है फसलों को समूह में पैदा करना। यह कृषकों के समूह का औपचारिक गठन है, जो किसी विशिष्ट फसल अथवा फसलों के समूह की पैदावार करने के लिए एक–साथ जुड़े हों। अतः इसमें एक साझे हित के साथ कृषकों का एक समूह होता है तथा हर कोई व्यय के लिए हिस्सा देता है। जब फसलें तैयार हो जाती हैं तथा उन्हें बाजार में ले जाया और बेचा जाता है, तो धनराशि को समूह के प्रत्येक सदस्य के बीच वितरित कर दिया जाता है। कृषक इनपुट लागतों की साझेदारी करके, मशीनों को किराए पर लेकर, परिवहन लागतों में कमी करके, बैकों से बेहतर सुविधाएं प्राप्त करके तथा विपणन संबंधी संपर्क स्थापित करके कृषि को अधिक लाभप्रद बना सकते हैं।

एक बार स्वैच्छिक समूहों का निर्माण हो जाने पर सरकार विद्यमान अनेक योजनाओं और आर्थिक सहायताओं के साथ उन तक पहुंच सकती है तथा ऐसे समूहों को इनपुट प्रदान कर सकती है। तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रौद्योगिकी का अंतरण करना आसान होता है। यह बैंकों, बाजारों और खुदरा व्यापारियों के साथ उनके संपर्कों में सुविधा भी प्रदान कर सकती है।

ऐसे समूह परिसंघों का निर्माण कर सकते है तथा स्वंय को उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और शीत श्रृंखला आपूर्ति प्रबंधन तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं। समूह कृषि संबंधी पहलकदमों के लिए पृथक वित्त–पोषण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये सभी विद्यमान योजनाओं को अभिसारित करते हैं तथा उन्हें एक समूह में संयोजित करते हैं।

समूह के गठन के लाभ

- तकनीकी और बाजार सूचना तक पहुंच।
- क्रय और विक्रय शक्ति में सुधार।
- लाभप्रद और प्रासंगित क्रियाकलापों को अनुरक्षित करने की संभावना होती है।
- संपोषणीयता के लिए उच्च उत्प्रेरणा।
- सामाजिक सामंजस्य का निर्माण करता है।

समूह के उद्देश्य

- उत्पादन और विपणन मुद्दों का निवारण करना।
- ''स्व–सहायता'' दृष्टिकोण विकसित करना।
- संचयी संसाधन उपलब्ध कराना।
- माप की अर्थव्यवस्था का दोहन करने के लिए सदस्यों को अनुमति प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और सूचना की साझेदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- तकनीकी और प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए एक केंद्रीय बिंदु उपलब्ध कराना।

किसी समूह के क्रियाकलाप

- बैठकों का आयोजन।

- सूचना की साझेदारी में व्यस्त रहना (अन्य समूहों के साथ नेटवर्किंग सहित)
- तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना।
- क्षेत्रीय परीक्षण संचालित करना।
- थोक विक्रय और क्रय का आयोजन करना।
- बाजार नेटवर्क विकसित करना और बाजार का आकलन करना।
- आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक सदस्य की सहायता करना
- समूह के क्रियाकलापों के लिए 'सचल' निधि का प्रबंध करना।
- तकनीकी और उत्पादन अवसरों की पहचान करना।
- ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश करना जिन्हें व्यक्त्यिों द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता है।
- उस ऋण तक पहुंच बनाना, जो व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं।

कृषक क्लब

कृषक क्लब कृषकों के निम्नतम स्तर के अनौपचारिक मंच है। ऐसे क्लबों का संचालन संबंधित बैंकों और ग्रामीण कृषि समुदाय/ग्रामीण लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए नाबार्ड की सहायता और वित्तीय सहयोग के साथ बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम में वृद्धि होने के साथ ही, अन्य एजेंसियों जैसे एनजीओ, वीए, केवीके, एसएयू आदि को भी अब कृषक क्लबों के गठन और संवर्धन में एजेंसियों के रूप में शामिल किया गया है।

जल क्लब

सामूहिक रूप से स्वास्थ्य और कृषि–भूमि प्रबंधन समस्याओं का निवारण करने, बीएमपी के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने, साप्ताहिक कृषक बैठकों को सुकर बनाने, 'सेवा प्रदाता–कृषक' संपर्कों का आयोजन करने तथा सूचना का आदान–प्रदान करने के लिए कृषकों से मिलकर बना संगठन जो कृषकों के मध्य पारस्परिक

भरोसे का निर्माण करने का प्रयास करता है। इसके साथ–साथ यह बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन प्रक्रियाओं के लाभों और बाधाओं को बेहतर रूप से समझने का प्रयास भी करता है।

जल–कृषि संपदा

जल–कृषि संपदा सामान्य जलाशय है जिन्हें समूह कृषि के अंतर्गत जल–कृषि क्रियाकलापों को आरंभ करने के लिए विकसित किया गया है तथा इच्छुक कृषकों को किराए पर अथवा पट्टे पर लिया गया है। यहां पर जल–कृषि क्रियाकलापों के प्रचालन और अनुरक्षण की समस्त बुनियादी सुविधाएं सृजित की जाती हैं तथा उनके प्रभावी उपयोग के लिए कृषकों को सौंपा जाता है। जल–कृषि सृजित करने के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैंः–

– जल–कृषि प्रक्रियाएं तैयार करके और उनका इष्टतम प्रयोग करके जलाशयों को शामिल करने वाले संसाधन के विशाल क्षेत्र का उपयोग करना।
– चयनित क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना।
– मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना।

संविदा कृषि

संविदा कृषि एक जल–कृषि उत्पादन है जिसे क्रेता और कृषकों के बीच एक करार के अनुसार संचालित किया जाता है जिसमें किसी कृषि उत्पाद या उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की स्थापना की जाती है। विशिष्ट रूप से, कृषक क्रेता द्वारा निर्धारित किए गए गुणवत्ता मानकों और वितरण कार्यक्रम का अनुपालन करते हुए किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की स्थापित मात्रा उपलब्ध कराने के लिए सहमत होता है। इसके बदले में, क्रेता प्रायः एक पूर्व–निर्धारित मूल्य पर उत्पाद को खरीदने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। कुछ मामलों में, क्रेता विभिन्न उपायों के माध्यम से उत्पादन में सहायता प्रदान करने का वचन भी देता है, उदाहरण के लिए, कृषि इनपुटों की आपूर्ति, भूमि तैयार करना, तकनीकी परामर्श प्रदान करना तथा क्रेता के परिसर तक उत्पाद की ढुलाई की व्यवस्था करना। संविदा कृषि को निर्दिष्ट करने के लिए एक अन्य शब्द भी प्रायः प्रयोग में लाया जाता है, वह है 'अति–उत्पादकों की योजना' जिसमें कृषकों को एक

विशाल कृषि–भूमि अथवा प्रसंस्करण संयंत्र के साथ जोड़ दिया जाता है, जो उत्पादन आयोजना, इनपुट आपूर्ति, विस्तार परामर्श और परिवहन को सहायता प्रदान करती है। संविदा कृषि का प्रयोग कृषि उत्पादों की व्यापक किस्मों के लिए किया जाता है।

संविदा कृषि की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह अग्रवर्ती और पश्चगामी बाजार संपर्कों को सुकर बनाती है जो बाजारचालित वाणिज्यिक कृषि की आधारशिला है। बेहतर रूप से प्रबंधित संविदा कृषि को छोटे कृषकों की बाजारों से संपर्क स्थापित करने और बाजार तक पहुंच संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान करने में एक प्रभावशाली दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है। संविदा कृषि में संलिप्त दोनों भागीदारों को लाभ प्राप्त हो सकता है। कृषकों के पास एक गारंटीशुदा बाजार विक्रय–केंद्र होता है, जिससे मूल्यों के संबंध में उनकी अनिश्चितताएं कम होती हैं तथा प्रायः उन्हें कृषि इनपुटों जैसे बीज और उवर्रकों के प्रावधान के माध्यम से वस्तुओं के रूप में ऋण की आपूर्ति की जाती है। क्रय करने वाले फर्में कृषि उत्पादों की एक गारंटीशुदा आपूर्ति प्राप्त करके लाभान्वित होती हैं, जो उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा और सही समय पर वितरण के संबंध में उनके विनिर्देशों की पूर्ति करता है।

कृषक संघ

कृषक संघ कृषकों का एक स्व–प्रबंधित और स्वतंत्र समूह है जिनके साझे उद्देश्य और हित होते हैं। सदस्य अपने विद्यमान संसाधनों का संचयन करके, अन्य संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्राप्त करके तथा परिणामी लाभों की साझेदारी करके इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। कृषक संघ (एफए) अनेक कृत्यों का निर्वहन करते हैं और वे मोटे तौर पर दो श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी में वे संघ शामिल हैं जो विशिष्ट आर्थिक और वाणिज्यिक कार्य करते हैं जैसे, विपणन, इनपुटों की आपूर्ति, तकनीकी और विस्तार सेवाएं, ऋण की व्यवस्था, सूचना तक पहुंच, जोखिम प्रबंधन आदि। दूसरी श्रेणी में ऐसे संघ शामिल हैं जो कृषक समुदाय अथवा उसके एक विशिष्ट खण्ड के सामान्य हितों को प्रवर्तित करने के लिए कार्य करते है।

कृषि सहकारिता/सोसाइटी

कोई कृषि सहकारिता, जिसे कृषकों की सहकारिता भी कहा जाता है, संगठन का ऐसा रूप है जहां कृषक क्रियाकलाप के कतिपय क्षेत्रों में अपने संसाधनों का संचयन करते हैं। सहकारिताएं अपने सदस्यों के लिए उनके द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभों को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं (जिनमें सामान्यतः शून्य–लाभ अर्जक प्रचालन होते हैं)। अतः कृषि सहकारिताएं ऐसी स्थितियों में सृजित की जाती हैं जहां कृषक अनिवार्य सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं अथवा जब ऐसी सेवाएं गैर–हितकारी शर्तों पर कृषकों को उपलब्ध होती हैं (अर्थात् सेवाएं तो सुलभ होती हैं परंतु कृषि के लिए लाभ–उत्प्रेरणा मूल्य अत्यधिक उच्च होते हैं)।

कृषि–सहकारिताओं के सृजन के लिए एक संभावित उत्प्रेरणा उत्पादन और/अथवा संसाधनों के संचयन की कृषकों की योग्यता से संबंधित है। कृषि क्षेत्र के भीतर अनेक स्थितियों में यह कृषकों के लिए इतनी महंगी होती है, कि वे उत्पादों का विनिर्माण नहीं कर पाते हैं अथवा सेवा आरंभ नहीं कर सकते हैं। सहकारिताएं कृषकों को एक 'संघ' के रूप में परस्पर जुड़ने की पद्धति सुलभ कराती हैं जिसके माध्यम से कृषकों का एक समूह अकेले–अकेले कार्य करने के स्थान पर बेहतर परिणाम अर्जित कर सकता है, जिनमें विशेष रूप से वित्तीय परिणाम शामिल हैं।

समूह कृषि

कृषि योजनाओं में नवीनतम प्रयास कृषि की एक नई पद्धति का सृजन करना है, जिसे 'समूह कृषि' कहा जाता है। पणधारकों के मध्य क्रियाकलापों के समन्वय के लिए समूह एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसका उद्देश्य सुभेद्य कृषक परिवारों की आजीविका में सुधार लाना है।

समूह कृषि अल्प–भूमि रखने वाले कृषकों के लिए कृषि की एक वैकल्पिक रणनीति है। दो प्रकार की समूह कृषि दृष्टिकोण हैंः क्षेत्र आधारित और पण्य आधारित दृष्टिकोण। क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण में, कृषक खेतों और व्यापार केन्द्रों की समीपता के आधार पर एक साथ जुड़ते हैं जबकि पण्य आधारित दृष्टिकोण में कृषक

समान प्रकार की फसल की पैदावार करते हैं तथा उच्च मात्रा हासिल करने के लिए उनके उत्पादों को एक साथ संयोजित करते हैं। समूह कृषि के मुख्य उद्देश्य हैं–अल्प भूमिधारक कृषकों के उत्पाद को समेकित करना, परिवहन और संव्यवहार लागतों में बचत और आय में वद्धि करने के लिए उन्हें थोक में वितरित करना। लाभ अर्जित करना तथा छोटे कृषकों का कल्याण सुनिश्चित करना इसके दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिनके लिए तीन पूर्वापेक्षाओं का सामंजस्य किया जाना चाहिए। इनमें शामिल है–पणधारकों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक और भोगौलिक सामजस्य।

कृषि समूहों की स्थापना क्षैतिज अथवा ऊर्ध्व तरीके से की जा सकती है। इस पहलकदम की सफलता के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपेक्षा है–एक आम मंच पर पणधारकों के संगठन को प्रारंभ करना। समूहों की सफलता के लिए संस्थागत सहायता महत्वपूर्ण है। कृषि में समूह दृष्टिकोण कृषकों और बाजारों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। समूह संबंधी पहलकदम कृषि, विशेष रूप से छोटे कृषकों की अनेक समस्याओं का हल करने के लिए उपलब्ध संभावित विकल्पों में से एक है।

समूह कृषि दृष्टिकोण के माध्यम से जल–कृषि विकास

वितीय वर्ष 2012–13 के दौरान, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरण मिशन (एनएमपीएस) के अंतर्गत एक नए अवयव की शुरूआत की। जल–कृषि क्षेत्र की बेहतर विकास दर और उसका विकास हासिल करने के लिए विभिन्न उत्पादनोन्मुख क्रियाकलापों के एकीकरण की आवश्यकता है जैसे गुणवत्ता पूर्ण मत्स्य–बीजों, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य–आहार का उत्पादन, प्रौद्यागिकी की उपलब्धता, उन निकटस्थ स्थानों पर फसलोत्तर प्रसंस्करण और विपणन सुविधाएं, जहां कृषकों द्वारा वाणिज्यिक जल–कृषि संचालित की जाती है।

समूह–कृषि के माध्यम से मत्स्य–पालन के इस एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य अग्रवर्ती और पश्चगामी संपर्कों का समावेश करना है, जैसे (i) अंडज–उत्पत्तिशाला (ii) नर्सरी (iii) पालन तालाब (iv) समूह तालाब (v) इनपुट (vi) चारा मिल (vii) विपणन अवसंरचना आदि। एक समूह कृषि प्रणाली की इकाई लागत 250 लाख रूपये है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क्रम सं.	विवरण	वर्जन	राशि लाख में
1.	मत्स्य अंडज–उत्पत्तिशाला का निर्माण	10 मिलियन फ्राई क्षमता	15.00
2.	मत्स्य नर्सरी का निर्माण (10 हैक्टेयर)	6.00 लाख रूप्ये प्रति हैक्टेयर (40 प्रतिशत सहायता)	24.00
3.	अंडज पालन के लिए इनपुट लागत (10 हैक्टेयर)	2.00 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर (40 प्रतिशत सहायता)	8.00
4.	तालाबों का निर्माण (40 हैक्टेयर)	5.00 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर (40 प्रतिशत सहायता)	80.00
5.	मत्स्य उत्पादन के लिए इनपुट लागत (40 हैक्टेयर)	2.00 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर (40 प्रतिशत सहायता)	32.00
6.	चारा मिल संयंत्र का निर्माण	3 टन/ड्राई क्षमता	45.00
7.	अवसंरचना की स्थापना जैसे शीत भण्डारण, बर्फ संयंत्र, उष्मारोधी ट्रक, विपणन/खुदरा केंद्र		46.00
		कुल लागत	**250.00**

तमिलनाडु में कृषि समूह के माध्यम से एकीकृत जल–कृषि का विकास

उद्देश्यः

समूह–कृषि के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ जल–कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना जिसमें मत्स्य अंडज उत्पादन, इनपुटों की आपूर्ति जैसे गुणवत्तापूर्ण मत्स्य अंडज, पैदावार के लिए अवसंरचना, स्वच्छता संबंधी कार्रवाइयां, मूल्यवर्धन और विपणन को शामिल करते हुए अग्रवर्ती और पश्चगामी संपर्कों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

परियोजना की व्याप्ति

तमिलनाडु में लगभग 10,000 मत्स्य–कृषक मत्स्य–पालन कर रहें हैं तथा वे समूचे राज्य में फैले हुए हैं। अकेले तंजाबूर जिले में ही लगभग 2000 मत्स्य कृषक मत्स्य अंडज–उत्पादन, उनके पालन–पोषण और मत्स्य–पालन संबंधी क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। अतः मत्स्य–पालन विभाग ने समूह–कृषि दृष्टिकोण के माध्यम से तंजाबूर जिले में एक एकीकृत मत्स्य–पालन इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

कार्ययोजना

क्रियाकलाप		माह										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कृषकों की पहचान और चुनाव												
सोसाइटी का निर्माण												
अवसंरचना स्थापित												

करने के लिए भूमि अर्जित करना तथा निविदा प्रक्रिया												
सामान्य अवसंरचना की स्थापना												
मत्स्य–अंडज उत्पादन												
मत्स्य–अंडज पालन												
मत्स्य कृषि												
मत्स्य पैदावार और विपणन												

क्रियान्वयन योजना

पुंज कृषि के लिए लाभार्थियों का चयन।

तालाब/नर्सरी निर्माण के लिए आर्थिक–सहायता जारी करना।

समूह कृषि के लिए सोसाइटी का गठन।

इनपुटों की खरीद के लिए आर्थिक–सहायता जारी करना।

मत्स्य अंडज–उत्पत्ति, मत्स्य चारा संयंत्र तथा मत्स्य विपणन अवसंरचना के लिए सामान्य अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना।